रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1984/श्रावण 6, 1906
No. 355] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1984/SRAVANA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1984

का. आ. 541(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी किस्म के पशु चारे के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (च), (छ), (य) और (झ) के अधीन आदेश करने की शक्ति का प्रयोग वलसद जिले के कलक्टर द्वारा भी किया जाएगा ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 31 अक्तूबर, 1984 (इसमें दोनों दिन जोड़े जाएंगे) को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

1. सूखी घास
2. घास
3. चारा
4. धान की पुआल
5. भूसा
6. चूनी
7. कड़वी
8. करब और करबी ।

[सं. 32-1/80-एल.डी.-2]

पी. एस. कोहली, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 28th July, 1984

S.O. 541(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make orders under clauses (c), (d), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of section 3 of he said Act shall, in relation to the cattle fodder of any of he varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Collector of Valsad district.

This order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 31st October, 1984 (both days inclusive).

SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

1. Hay
2. Grass
3. Chara
4. Paddy straw
5. Bhusa
6. Chuni
7. Kadabi
8. Karab and Karabi

[No. 32-1|80-LD-II]

P. S. KOHLI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984